VOLUME-7, ISSUE-3, MARCH-2018 • PRINT ISSN No 2277 - 8160

Original Research Paper

Education

छत्तीसगढ़ राज्य में शालेय शिक्षा के विकास में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित योजनाए

हितेष कुमार दीवान शोध–छात्र (वाणिज्य) रायपुर (छ.ग.)

डॉ. सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल शोध –निर्देशक दुर्गा महाविद्यालय रायपुर (छ.ग.)

KEYWORDS :

परिचय

1 नवम्बर 2000 को छततीसगढ़ राज्य निर्माण के उपरांत शासन द्वारा शिक्षा के लोक व्यापीकरण हेतु सतत् एवं विशेष प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य की जनसंख्या 2.55 करोड़ है, जिसमें 6 से 18 आयु वर्ग के 57.45 लाख 'ालाओं में दर्ज है, प्रदेश में नवीन विद्यालयों की स्थापना एवं पदों की स्वीकृतियां दी गई है, राज्य में 29759 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 'ालात्यागी हैं, जिन्हें चिन्हांकित करके विशेष आवासीय विद्यालय एवं गैर–आवासीय विद्यालय में लाने का अथक् प्रयास किया जा रहा है।

राज्य शासन की विभिन्न प्रकार की योजनाएँ आधारभूत संरचना के आधार पर छात्र कल्याण कार्यक्रम शारीरिक, व्याक्तित्व विकास एवं रोजगार मूलक शिक्षा कार्यक्रम के क्रियान्वयन करने से छात्र–छात्राएँ शिक्षा की ओर आकृष्ट हो रहे हैं। शासन की योजनाओं में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने एवं अल्प संख्यक वर्ग के छात्र–छात्राओं के कल्याण के लिये अनेक प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन एवं संचालन सतत् रूप से किया जा रहा है।

छततीसगढ राज्य के विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के स्तर एवं गुणवता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सैद्धांतिक शिक्षा के साथ–साथ व्यावहारिक शिक्षा, कम्पयुटर शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। राज्य में शिक्षा में गुणवत्ता लाने हेतु ए.पी. जे. अब्दुल कलॉम पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर गुणवत्ता अभियान चलाया जा रहा है। रोजगार–मूलक शिक्षा प्रदान करने के लिये कक्षा नवमीं से ही व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किया गया है, जो राज्य के 391 शासकीय शालाओं में लागू किया गया है। कक्षा 11वीं एवं 12 वीं में पंडित सुन्दर लाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान के सहयोग से केन्द्र सरकार द्वारा सन् 1988 से रोजगार मूलक शिक्षा के रूप में व्यावसायिक शिक्षा को पूरे राज्य में लागू किया गया है, जिसमें कुल 23 ट्रेड का संचालन किया जा रहा है।

शासन द्वारा प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शालाओं में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं के कुपोशण दूर करने हेतु मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था निःशुल्क गणवेश, पाठ्य–पुस्तक, निःशुल्क सरस्वती सायकल योजना, विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति योजना इत्यादि का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

राज्य सरकार की योजनाएँ :

1. निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना

प्रारंभिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समस्त शासकीय, अनुदान प्राप्त एवं गैर–अनुदान प्राप्त शालाओं में अध्ययनरत् पहलीं से दसवीं कक्षा के समस्त छात्र–छात्राओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक प्रदान किया जा रहा है यह योजना सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू है।

2. निःशुल्क गणवेश योजना

प्रारंभिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण एवं शत् प्रतिशत् रिटेंशन के लिये छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग एवं सर्व शिक्षा अभियान द्वारा निःशुल्क गणवेश का वितरण शासकीय शालाओं में अध्ययनरत् कक्षा पहली से आठवीं स्तर के समस्त छात्राओं के लिए दो सेट गणवेश का निःशुल्क वितरण किया जाता है।

3. सरस्वती सायकल योजना

राज्य शासन की योजनाओं में से यह योजना बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ के समस्त शासकीय अनुदान प्राप्त विद्यालयों के कक्षा नवमीं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं बी.पी.एल. परिवार की छात्राओं को शाला आवागमन की सुविधा प्रदान करने, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उददेश्य से इस योजना का प्रारंभ किया गया है यह योजना समूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू है। इस योजना का क्रियान्वयन स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया जा रहा है। हितग्राही छात्राओं का चयन प्राचार्य द्वारा जाति प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाता है।

4. छात्र दुर्घटना बीमा

छततीसगढ़ राज्य के शासकीय शालाओं में अध्ययनरत प्राथमिक, पूर्वमाध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक एवं शासकीय महाविद्यालयों के छात्र–छात्राओं को दुर्घटना की स्थिति में बीमा सुरक्षा प्रदान करना है। जिसमें छात्र–छात्राओं की मृत्यु एवं पूर्ण अपंगता पर 1,00,000 रूपये की क्षतिपूर्ति आंशिक अपंगता पर 50,000/– एवं भैशेजिक उपचार हेतु अधिकतम 25000/– रूपये तक प्रदान किया जाता है।

केन्द्र सरकार की योजनाएँ :

शालेय शिक्षा के विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा भी अनेक महति योजनाओं को लागू किया गया है जिसका क्रियान्वयन अनुशासित एवं गुणवत्ता पूर्ण ढंग से किया जा रहा है। केन्द्र सरकार की योजनाएं निम्नानुसार है :

1. मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम

भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं में से '' मध्यान्ह भोजन योजना '' एक महत्वपूर्ण योजना है, जिससे प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकरण, लोकव्यापीकरण को प्राप्त करने के उद्देश्य से इसकी शुरूआत 15 अगस्त 1995 को तत्कालीन सरकार द्वारा राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया। इस योजना में सर्वप्रथम शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत् पहली से पांचवी कक्षा तक के छात्र–छात्राओं को प्रतिमाह तीन किलोग्राम चांवल प्रदान किया जाता था, जो सन् 1995 से 2000 तक प्रभावी रहा। वर्तमान में छात्र–छात्राओं को विद्यालय में तैयार गरम एवं स्वादिश्ट भोजन प्रदान किया जाने लगा है।

2.सर्व शिक्षा अभियान

भारत में प्राथमिक शिक्षा के सर्व सुलभ बनाने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने, बुनियादी शिक्षा के माध्यम से सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया है, जिसका संचालन केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय शासन की भागीदारी से किया जा रहा है। इस अभियान में पंचायती राज संस्था, स्कूल प्रबंधन समिति, अभिभावक शिक्षक संघ, मातृ शिक्षक संघ को सम्मिलित किया गया है। राज्य के सभी निवासियों को गुणवत्ता–पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए समुदाय की विशेष सहभागिता से इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

3. कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय

भारत सरकार द्वारा बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित कर महिला साक्षरता बढ़ाने हेतु देश के विभिन्न राज्यों, जिलों, विकासखण्डों में '' कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय '' संचालित किया जा रहा है। इस योजनान्तर्गत सुदूर ग्रामीण अंचलों में निवासरत अनुसूचित जाति, जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के बालिकाओं को उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करने 10 वर्श से अधिक आयु की शाला त्यागी, शाला अप्रवेशी, अभिभावक से वन्चित, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, मौसमी पलायन, कठिन भौगोलिक स्थिति के कारण शिक्षा से वंचित बालिकाओं को प्रवेश दिया जाता है। प्रत्येक आवासीय विद्यालय में 100 छात्राओं के लिए आवासीय शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करायी गई है।

4. राश्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA)

भारत सरकार द्वारा शिक्षा के लोकव्यापीकरण के लिए ''राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान'' एक महत्वाकांक्षी योजना का प्रारंभ किया गया है। इस योजना में केन्द्र सरकार का अंशदान 60 प्रतिशत् एवं राज्य सरकार का अंशदान 40 प्रतिशत् रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत आवश्यकतानुसार पूर्व माध्यमिक शालाओं का हाई स्कूल में उन्नयन एवं भवन निर्माण, पूर्व से संचालित हाईस्कूलों का राश्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के मापदण्डों के अनुरूप सुदृढ़ीकरण, कक्ष एवं दर्ज संख्या के आधार पर अतिरिक्त कक्ष, शिक्षक कक्ष, प्रधानपाठक कक्ष, शिक्षकों का प्रशिक्षण आदि की सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाती है।

5. कन्या छात्रावास :

भारत सरकार द्वारा बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने एवं शैक्षणिक दृश्टिकोण से पिछड़े हुए विकासखण्ड एवं जहां महिला साक्षरता दर अन्य विकासखण्डों की तुलना में कम है वहां बालिका शिक्षा का उन्नयन एवं उत्पन्न होने वाली बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से कन्या छात्रावास योजना का प्रारंभ किया गया है। इस योजना

का मुख्य उद्देश्य कक्षा नवमीं से बारहवीं तक अध्ययनरत 14 से 18 वर्श की आयु समूह के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवार की बालिकाओं के लिए सर्व सुविधायुक्त छात्रावास की व्यवस्था की जाती है।

6. आई.सी.टी.योजना–छत्तीसगढ़

राज्य में केन्द्र प्रवर्तित योजना अंन्तर्गत शासकीय शालाओं में अध्ययनरत हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को कम्प्यूटर साक्षरता एवं कम्प्यूटर आधारित शिक्षण एवं प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना है, इस योजना को सन् 2011–12 में 300 शासकीय विद्यालयों में लागू किया गया।

7. बालिका कन्या प्रोत्साहन योजना

केन्द्र सरकार द्वारा बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत मई 2008 में इस राश्ट्रीय योजना की शुरूआत की गई है, जिसके तहत माध्यमिक स्तर पर 14–18 आयु वर्ग के बालिकओं के नामांकन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से कक्षा आठवीं उत्तीर्ण सभी अनुसूचित जाति, जनजाति बी.पी.एल. परिवार तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की छात्राओं को शामिल किया जाता है। शासकीय, अनुदान प्राप्त शाला, स्थानीय निकाय शालाओं के कक्षा 9वीं में अध्ययनरत 16 वर्श से कम आयु के (31 मार्च तक) छात्राओं के बैंक खातों में रू. 3000/– स्थायी जमा के रूप में जमा किया जाता है और 18 वर्श के उम्र तक पहुँचने पर ब्याज सहित वापस प्राप्त करने का हकदार होता है।

8. राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति

भारत शासन द्वारा लागू इस महती योजना का क्रियान्वयन प्रत्येक राज्य के राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिशद द्वारा किया जाता है। इस योजनान्तर्गत शासकीय, अनुदान प्राप्त शालाओं में कक्षा 8वीं में अध्ययनरत छात्र–छात्राएँ इस छात्रवृत्ति परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इस परीक्षा में भाग लेने के लिए सामान्य वर्ग के छात्रों का न्यूनतम अर्हताएँ 55ः एवं, अन्य श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए 50ः अंक होने पर परीक्षा में बैठने की पात्रता रखते हैं। इस परीक्षा में वही विद्यार्थी सम्मिलित हो सकते हैं, जिनके परिवार की वार्शिक आय रू. 1,50,000/ से अधिक न हो। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं दिव्यांग छात्रों को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर छूट एवं आरक्षण की पात्रता प्रदान की जाती है।

9. कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना

भारत सरकार द्वारा संचालित एवं छततीसगढ़ शासन शिक्षा विभाग द्वारा कार्यान्वित इस योजना का मुख्य उद्देश्य शासकीय शालाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति की छात्राओं का शिक्षा में प्रोत्साहन देने, शिक्षण में सुविधा प्रदान करने आर्थिक सहायता के माध्यम से बालिकओं को शिक्षा की ओर आकर्शित करने शाला त्याग दर को कम करने हेतु कक्षा आठवीं एवं दसवीं बोर्ड परीक्षा पास कर अगली कक्षा में नियमित रूप से प्रवेश लेने पर छात्राओं को क्रमशः रू. 800/–, 1000/– एवं रू. 3000/– की प्रोत्साहन राशि को समान किश्तों में दिये जाने का प्रावधान है। ऐसे छात्राओं को यह प्रोत्साहन राशि की पात्रता नहीं होती, जिनके पिता या पालक आयकर दाता है।

10. अस्वच्छ धंधा छात्रवृत्ति योजना

केन्द्रीय सरकार द्वारा लागू किये गये इस योजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ शासन के आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विभाग द्वारा अस्वच्छ धंधों में नियोजित कामगारों के बच्चों को शिक्षा के प्रति आकर्शित करने एवं विद्या अध्ययन में पड़ने वाले आर्थिक भार को कम करने के उद्देश्य से अस्वच्छ धंधा छात्रवृत्ति योजना संचालन किया जा रहा है। इस छात्रवृत्ति की पात्रता शासकीय शालाओं में अध्ययनरत कक्षा पहली से दसवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को दी जाती है। छात्रावास में रहने वाले छात्रों को रू. 700/– प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती है, इसके अलावा गैर छात्रावासी विद्यार्थियों को वार्शिक दर अनुदान राशि रू. 1000/– प्रदान किया जाता है।

11. मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना

छततीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल ने शालेय छात्र–छात्राओं के लिए ''मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना '' का शुभारंभ किया। इस योजना का क्रियान्वयन एवं संचालन राज्य शासन के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा किया जाता है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति एव जनजाति के छात्र–छात्राओं द्वारा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, सी.बी.एस.ई., आई.सी.एस.ई द्वारा आयोजित कक्षा दसवीं तथा बारहवीं बोर्ड परीक्षा में सर्वाधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को शामिल किया जाता है। प्रत्येक वर्श अनुसूचित जनजाति वर्ग के 700 विद्यार्थियों और अनुसूचित जाति वर्ग के 300 विद्यार्थियों का चुनाव किया जाता है जिन्हें प्रत्येक को रू. 15000/– नगद पुरस्कार व प्रमाण पत्र वितरित किया जाता है। राज्य में इस योजना का संचालन शिक्षण सत्र 2007–08 से किया जा रहा है।

12. राज्य छात्रवृत्ति योजना (प्री–मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक)

राज्य छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन एवं संचालन स्कूल शिक्षा विभाग छात्र शासन द्वारा किया जाता है यह योजना सम्पूर्ण छ.ग. राज्य में लागू है, इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा में प्रोत्साहन एवं मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति अन्तर्गत कक्षा ग्यारहवीं एवं बारहवीं में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं के लिये है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. सर्व शिक्षा अभियान वार्शिक प्रतिवेदन
2. प्रशासकीय प्रतिवेदन
3. यात्रा : घर से स्कूल तक एवं मध्यान्ह भोजन से पढ़ाई तक
4. जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, रायपुर
5. जिला जनसम्पर्क कार्यालय, रायपुर